न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 44/07 (वाद)
GCMS No. : 2009/00006

1. श्री रामलाल पिता दीपा कुम्हार निवासी ईण्टाली तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री खेमराज पिता दीपा कुम्हार निवासी ईण्टाली तह. मावली के बजाय :–
1/1 श्रीमती बबली पत्नी खेमराज कुम्हार निवासी ईण्टाली तह. मावली।
1/2 श्रीमती कान्ता पत्नी लोगर कुम्हार निवासी ईण्टाली हाल करावली कुराबड तह. गिर्वा।
2. श्री रूपा पिता तारू कुम्हार निवासी ईण्टाली हाल भुवाणा के बजाय :–
2/1 श्रीमती वरदी पत्नी रूपा कुम्हार निवासी ईण्टाली हाल भुवाणा तह. गिर्वा।
2/2 श्री गुलाब पिता रूपा कुम्हार निवासी ईण्टाली हाल भुवाणा तह. गिर्वा।
2/3 श्री सोहनलाल पिता रूपा कुम्हार निवासी ईण्टाली हाल भुवाणा तह. गिर्वा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. श्री दौलतराम पिता हिरालाल मेनारिया निवासी ईण्टाली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री पवन सेन, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4

प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक : 21.11.2022

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चायलाखेडा पटवार हल्का ईण्टाली की परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 3423, 4795 किता 2 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 3424, 3425, 4668 किता 3 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि में अपने हिस्से की खातेदारी अधिकार घोषित करा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं।
2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र के परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी संख्या 4668 रकबा 4 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.16 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

18 बिस्वा का 1/2 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है मात्र राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित हैं। वास्तविकता यह है कि उक्त आराजी नम्बर 4668 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा के स्वामी प्रतिवादी सं. 1 खेमराज ने उक्त अपने हिस्से की आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2009 को बिल एवज रूपया 1,20,000/— एक लाख बीस हजार रूपया में मुझ प्रतिवादी दौलतराम मेनारिया को विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपूर्द किया और तभी से उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर मैं प्रतिवादी दौलतराम मेनारिया काबिज हूं और मेरे ही उपयोग उपभोग में है इसलिए उक्त मेरी खरीदसुदा भूमि पर वादी या प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं हैं। उक्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य बंटवारा हो चुका हैं परन्तु विधिक रूप से बंटवारा नहीं होने से राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित है। प्रतिवादी सं. 1 खेमराज कुम्हार ने बंटवारानुसार ही आराजी नम्बर 4668 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से अपने हिस्से की 1/2 हिस्सा भूमि को मुझ प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपूर्द किया है जिस पर वर्तमान में मैं प्रतिवादी दौलतराम मेनारिया काबिज हूं और मेरे उपयोग उपभोग में हैं। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात में अपने हिस्से को वादी को विक्रय किया हो तो उसकी जानकारी मुझ प्रतिवादी दौलतराम मेनारिया को नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात में अपने हिस्से को वादी को विक्रय किया हो तो उसकी जानकारी मुझ प्रतिवादी दौलतराम मेनारिया को नहीं हैं। चूंकि वादी व प्रतिवादी सं. 1 सगे भाई है इसलिए ये दोनो ही वास्तविकता को जानते है। वादी को मेरे विरूद्व कभी कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ हैं। आराजी नम्बर 4668 रकबा 4 बीघा 18 बिस्पा में से 1/2 हिस्सा जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 खेमराज कुम्हार के नाम पर अंकित है उक्त सम्पूर्ण आराजीयात के साथ उक्त मेरे द्वारा खरीदसुदा व कब्जेसुदा भूमि का बंटवारा कर मेरे हिस्से व कब्जे की भूमि को मेरे नाम पर अंकन किया जाने में मुझे कोई एतराज नहीं हैं। वादी मुझ प्रतिवादी के विरूद्व किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.16 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

3. **काउन्टर क्लेम** प्रस्तुत कर निवेदन कि[illegible]वादी क्लीन हेण्ड से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है और वादी यह अ[illegible] हुए कि आराजी नम्बर 4668 रकबा

4 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्से के स्वामी प्रतिवादी सं. 1 खेमराज कुम्हार जो कि वादी का सगा भाई है ने अपने उक्त 1/2 हिस्सा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुझ प्रतिवादी दौलतराम मेनारिया को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया था फिर भी जानबुझकर उक्त वाद में मुझे पक्षकार नहीं बनाया परन्तु वाद की जानकारी होने पर मुझ दौलतराम ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1 नियम 10 जा.दी. का प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर मुझे पक्षकार प्रतिवादी बनाया हैं।

4. यह कि आराजी नम्बर 4668 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा के स्वामी प्रतिवादी सं. 1 खेमराज ने उक्त अपने हिस्से की आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2009 को बिल एवज रूपया 1,20,000/— एक लाख बीस हजार रूपये मे मुझ प्रतिवादी दौलतराम मेनारिया को विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपूर्द किया और तभी से उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर में प्रतिवादी दौलतराम मेनारिया काबिज हूं और मेरे ही उपयोग उपभोग में है इसलिए उक्त मेरी खरीदसुदा भूमि पर वादी या प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है इसलिए मै वादी न्यायहित में अपनी उक्त खरीदसुदा व कब्जेसुदा भूमि को अपने नाम पर घोषित फरमा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में स्वतन्त्र रूप से अंकन करवाने का अधिकारी हूं जिसके लिए यह काउन्टर क्लेम प्रस्तुत हैं। काउन्टर क्लेम कारण वाद पत्र की जानकारी मिलन पर मुझ प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकार बनने पर उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

5. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी नम्बर 4668 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा भूमि जिसे इसके स्वामी प्रतिवादी सं. 1 खेमराज ने उक्त अपने हिस्से की आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2009 को बिल एवज रूपया 1,20,000/— एक लाख बीस हजार रूपया में मुझ प्रतिवादी दौलतराम मेनारिया को विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपूर्द किया और तभी से उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर मै प्रतिवादी दौलतराम मेनारिया काबिज हूं और मेरे ही उपयोग उपभोग में है इसलिए उक्त मेरी खरीदसुदा भूमि पर वादी या प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.15 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

सं. 1 का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है इसलिए न्यायहित में उक्त मेरी खरीदसुदा व कब्जेसुदा भूमि को मुझ प्रतिवादी दौलतराम मेनारिया के नाम पर घोषित फरमा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में स्वतन्त्र रूप से अंकन फरमाई जावें।

6. अधिवक्ता वादी द्वारा उपस्थित होकर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रार्थना पत्र पत्रावली तलवी मय विड्रो का पेश करने पर दिनांक 13.09.2021 को वादी का वाद ड्रोप किया जा चुका हैं। चूंकि प्रतिवादी सं. 4 का काउन्टर क्लेम होने से पत्रावली काउन्टर क्लेम में विचाराधीन हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 द्वारा साक्ष्य की प्रतिवाद में साक्ष्य प्रारम्भ की गई।

7. प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद के समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र डीडब्ल्यू–1 श्री दौलतराम के पेश किये।

8. प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2009 असल प्रदर्श डी 1 व इसकी छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श डी 1ए पेश किये।

9. प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में प्रतिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रतिवाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 की एकतरफा बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. द्वारा अपने प्रतिवाद में प्रतिवादी सं. 1 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय करने का कथन किया है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद के समर्थन में दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2009 प्रदर्श डी1ए पेश किया, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि प्रतिवादी सं. 1 खेमराज ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2009 से आराजी नम्बर 4668 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 4 दौलतराम को विक्रय की हैं।

11. प्रतिवादी सं. 4 ने तत्कालीन खातेदार खेमराज पिता दीपा कुम्हार से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2009 से बिल एवज 1,20,000/– रूपये में क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया एवं क्रय दिनांक से मौके पर काबिज होना बताया हैं, लेकिन नामान्तरकरण क्रेता के नाम दर्ज नही हुआ। उक्त भूमि वर्तमान में तत्कालीन खातेदार विक्रेता के नाम [illegible]क्त रूप से दर्ज हैं। चूंकि उक्त भूमि का विक्रय रजिस्ट[illegible] पर तत्कालीन खातेदार द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.16 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 4 को कर देने से अब उक्त विक्रीत हिस्से में तत्कालीन खातेदार का कोई हक व कब्जा नहीं हैं। मौके पर कब्जा प्रतिवादी सं. 4 दौलतराम का हैं। वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 खेमराज फौत हो चुका है, जिसके वारिस प्रतिवादी सं. 1/1, 1/2 हैं। विक्रीत भूमि का मौके पर तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी सं. 1 व उसके वारिस 1/1 व 1/2 का कोई कब्जा नहीं हैं। कब्जा प्रतिवादी सं. 4 दौलतराम का ही चला आ रहा हैं। दौलतराम सद्भावी क्रेता हैं। दौलतराम ने पूर्णप्रतिफल अदा कर भूमि क्रय की हैं। अतः प्रतिवादी सं. 4 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय करने से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय कर अपनी क्रयसुदा भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवाद पेश किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं. 4 का प्रतिवाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रतिवादी सं. 4 का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा चायलाखेडा पटवार हल्का ईण्टाली की आराजी नम्बर 4668 किता 1 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2009 के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 खेमराज के नाम दर्ज भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 दौलतराम को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.16 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री रामलाल पिता दीपा कुम्हार निवासी ईण्टाली तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री खेमराज पिता दीपा कुम्हार निवासी ईण्टाली तह. मावली के बजाय :–
1/1 श्रीमती बबली पत्नी खेमराज कुम्हार निवासी ईण्टाली तह. मावली।
1/2 श्रीमती कान्ता पत्नी लोगर कुम्हार निवासी ईण्टाली हाल करावली कुराबड तह. गिर्वा।
2. श्री रूपा पिता तारू कुम्हार निवासी ईण्टाली हाल भुवाणा के बजाय :–
2/1 श्रीमती वरदी पत्नी रूपा कुम्हार निवासी ईण्टाली हाल भुवाणा तह. गिर्वा।
2/2 श्री गुलाब पिता रूपा कुम्हार निवासी ईण्टाली हाल भुवाणा तह. गिर्वा।
2/3 श्री सोहनलाल पिता रूपा कुम्हार निवासी ईण्टाली हाल भुवाणा तह. गिर्वा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. श्री दौलतराम पिता हिरालाल मेनारिया निवासी ईण्टाली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 44/07 (वाद) GCMS No.: 2009/00006

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी सं. 4 का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा चायलाखेडा पटवार हल्का ईण्टाली की आराजी नम्बर 4668 किता 1 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2009 के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 खेमराज के नाम दर्ज भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 दौलतराम को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.11.2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.16 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली